सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **70/2019** दायर दिनॉक **18.02.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जगदीशराम पुत्र जेठाराम, जाति—जाट, निवासी—कलवानी स्वयं एवं वारिस, वसीयतधारी स्वर्गीय मौरीदेवी पत्नी स्वीर्गीय भागीरथराम, जाति—जाट, निवासी—कलवानी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	वनाम्	1. हड़मानराम पुत्र स्वर्गीय भागीरथराम, 2. भँवराराम उर्फ चूनाराम पुत्र स्वर्गीय भागीरथराम गौदपुत्र हणुताराम, 3. जेठाराम पुत्र स्वर्गीय भागरीथराम, 4. वेगाराम पुत्र स्वर्गीय भागरीथराम, 5. नेमाराम पुत्र स्वर्गीय लाखाराम, 6. नोपाराम पुत्र स्वर्गीय लाखाराम, 7. लिछुराम पुत्र स्वर्गीय लाखाराम, 8. पूर्णाराम पुत्र स्वर्गीय लाखाराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—कलवानी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी।
2. श्री समदरसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 की ओर से।

दिनॉक **22.02.2019**

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 एक ही परिवार के सदस्यगण हैं।

सरहद कलवानी में खसरा नम्बर 258 रकबा 10.11 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 व 04 के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी तथा प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 08 के पिता स्वर्गीय लाखाराम पुत्र सांवलाराम के नाम 1/2 व प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 व 04 का 1/2 की खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 329 रकबा 0.9100 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 329/494 रकबा 0.8000 हैटैयर कुल रकबा 1.7100 हैक्टैयर है। नकल खतौनी सम्वत् 2071 से 2074 एवं 2073–2073 पेश है।

स्वर्गीय लाखाराम ने पुराने खसरा नम्बर 258 रकबा 12.11 बीघा में से रकबा 02.00 भूमि को भेराराम पुत्र उमाराम को बैचा था व भैराराम ने इसमें से रकबा 01.00 बीघा का बैचाण रामचन्द्र पुत्र भींवाराम को बैचाण कर दिया। बाद बैचाण उक्त खसरा का रकबा 10.11 बीघा भूमि शेष रहा।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद कलवानी में खसरा नम्बर 258 रकबा 10.11 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि रकबा 05.05 बीघा में से रकबा 01.05 बीघा का वादी को व रकबा 01.10 का प्रतिवादी संख्या 03 को व रकबा 01.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 04 को खातेदार घोषित किया जावे व शेष खातेदारी बदस्तूर रखी जावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 05 ता 09 के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ।

वादी जगदीशप्रसाद, रामदेवाराम पुत्र मोहनराम निवासी नोरंगपुरा, धन्नाराम पुत्र जेठाराम निवासी कलवानी की ओर से शपथ–पत्र, अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश हुए।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 20/2019
दायर दिनाँक 18.02.2019, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
जगदीशराम बनाम् हड़मानराम, वगैरा।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान कथन वादी जरिये विद्वान वकील है कि, खसरा नम्बर 258 रकबा 10.11 बीघा में से 1/2 हिस्सा रकबा 05.05 बीघा भूमि के चार हिस्से वादी के दादा स्वर्गीय भागीरथराम पुत्र सांवलाराम ने अपने जीवनकाल में ने कर दिये थे जिसमें से 1/4 हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 अपने हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 अपने–अपने हिस्से पर व उसकी पत्नी मौरीदेवी भी अपने 1/4 हिस्से पर अपने जीवनकाल में काबिजकाश्त रही थी तथा उसने अपने उक्त 1/4 हिस्से की भूमि को जरिये वसीयत के दिनाँक 26.06.2013 को वादी के हक में निष्पादित करवादी तथा कब्जाकाश्त वादी को सम्भला दिया था तब से आज दिन तक वादी उक्त भूमि पर निर्विवाद मौके पर काबिजकाश्त चला आ रहा है जिसका जरिये इकबालिया जवाब के प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 ने समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादी की इस्तदुआ है कि, सरहद कलवानी में खसरा नम्बर 258 रकबा 10.11 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि रकबा 05.05 बीघा में से रकबा 01.05 बीघा की खातेदारी वादी के व रकबा 01.10 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 03 के व रकबा 01.10 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में घोषित की जावे व रकबे की शेष खातेदारी बदस्तूर रखी जावे। वाद में प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 की ओर से इकबालिया जवाब पेश है तथा वादी ने साक्ष्य में शपथ–पत्र पेश कर दिये हैं।

लिहाजा, सरहद कलवानी में खसरा नम्बर 258 रकबा 10.11 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि रकबा 05.05 बीघा में से रकबा 01.05 बीघा की खातेदारी वादी के व रकबा 01.10 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 03 के व रकबा 01.10 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में घोषित की जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वादी का वाद, निम्न आदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता है:–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 20/2019
दायर दिनॉंक 18.02.2019, निर्णय दिनॉंक 22.02.2019
जगदीशराम बनाम् हड़मानराम, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद कलवानी के वादग्रस्त खसरा नम्बर 258 रकबा 10.11 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि रकबा 05.05 बीघा में से 1/4 हिस्से अनुसार, बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदार के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि माफिक, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि–

1. रकबा 01.05 बीघा का वादी को व रकबा 01.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को व रकबा 01.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस रकबे की शेष खातेदारी बदस्तूर रखी जाती है।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 05 ता 08 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनॉंक 22.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **70/2019** दायर दिनाँक **18.02.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जगदीशराम पुत्र जेठाराम, जाति–जाट, निवासी–कलवानी स्वयं एवं वारिस, वसीयतधारी स्वर्गीय मौरीदेवी पत्नी स्वीर्गीय भागीरथराम, जाति–जाट, निवासी–कलवानी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हड़मानराम पुत्र स्वर्गीय भागीरथराम, 2. भँवराराम उर्फ चूनाराम पुत्र स्वर्गीय भागीरथराम गौदपुत्र हणुताराम, 3. जेठाराम पुत्र स्वर्गीय भागरीथराम, 4. बेगाराम पुत्र स्वर्गीय भागरीथराम, 5. नेमाराम पुत्र स्वर्गीय लाखाराम, 6. नोपाराम पुत्र स्वर्गीय लाखाराम, 7. लिछुराम पुत्र स्वर्गीय लाखाराम, 8. पूर्णाराम पुत्र स्वर्गीय लाखाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–कलवानी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक **22.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादी व श्री समदरसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद कलवानी के वादग्रस्त खसरा नम्बर 258 रकबा 10.11 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि रकबा 05.05 बीघा में से 1/4 हिस्से अनुसार, बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदार के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि माफिक, खातेदारी आदेश इस कदर पारित किया जाता है, कि–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

1. रकबा 01.05 बीघा का वादी को व रकबा 01.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को व रकबा 01.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस रकबे की शेष खातेदारी बदस्तूर रखी जाती है।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 05 ता 08 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत............. ....–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner